

## कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है एवं राज्य विधायिका के समक्ष वित्तीय आंकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधित) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2018-19 द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष एक व्यापक तुलना की गयी है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

**अध्याय—I** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, एवं ऋण प्रबन्धन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

**अध्याय—II** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवादायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किस प्रकार से किया गया है, का विवरण दिया गया है।

**अध्याय—III** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा-जोखा है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### राज्य की राजकोषीय स्थिति

राज्य द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹ 28,250 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया, तथापि इसमें ₹ 13,419 करोड़ की अतिशयता रही। अग्रेतर, वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान/मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ. आर.पी.), 2018, उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर रहा। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाये ऋण का अनुपात बजट अनुमानों/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.(संशोधन) अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋणों से वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2015-16 (₹ 601 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 15,525 करोड़) की अवधि में रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत निवेश में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु बाजार ऋणों को कम करने का अवसर था। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में आरक्षित निधियों के अंश में वर्ष 2015-16 (₹ 2,561 करोड़) से वर्ष 2018-19

(₹ 13,545 करोड़) की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई, जो मुख्यतः निक्षेप निधि के अवशेषों का वास्तविक रूप से निवेश किये बिना ही, राजस्व लेखे से निक्षेप निधि को विनियोग के कारण था।

(प्रस्तर 1.3 एवं 1.3.1)

प्राथमिक घाटा वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. के (-)1.35 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में घटकर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष (-) 0.20 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्राथमिक घाटे में सुधार का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना था। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में 5.27 प्रतिशत (वर्ष 2014-15) से 4.05 प्रतिशत (वर्ष 2018-19) का सहवर्ती संकुचन हुआ।

(प्रस्तर 1.3.2)

### 1.3.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों के सापेक्ष ₹ 51,203 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 18,641 करोड़) था। बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी बजट अनुमानों की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं स्वयं के कर राजस्व में कम प्राप्तियों के कारण थी।

राजस्व व्यय में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष ₹ 35,504 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 19,792 करोड़) था। अग्रेतर, पूंजीगत व्यय में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष ₹ 23,375 करोड़ (60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 11,781 करोड़) था।

**संस्तुति :** वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में अन्तर को कम किया जा सके।

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.3.3)

### संसाधनों का संग्रहण

वर्ष 2018-19 में ₹ 3,29,978 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, राज्य का स्वयं का राजस्व ₹ 1,50,223 करोड़ एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,79,755 करोड़ सम्मिलित हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,20,122 करोड़) में 23 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), राज्य आबकारी तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में वृद्धि के कारण हुई।

(प्रस्तर 1.4.1 एवं 1.4.1.1)

कुल व्यय का प्रमुख घटक राजस्व व्यय (₹ 3,01,728 करोड़) ही बना रहा एवं इसका अंश 75.61 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 81.44 प्रतिशत (2018-19) हो गया। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय (₹ 1,81,444 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत था।

(प्रस्तर 1.5.1.1 एवं 1.5.1.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 62,463 करोड़) में वर्ष 2017-18 की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब पूंजीगत व्यय में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी कृषि ऋण माफी हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय वर्ष 2016-17 के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19 के मध्य 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.5. 1.4)

## परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने अपनी सांविधिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया क्योंकि यह परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में समतुल्य अंशदान के रूप में ₹ 981.17 करोड़ का अंशदान देने में विफल रही। वर्ष 2018-19 में, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत संग्रहित सम्पूर्ण अंशदान, ₹ 3,456.79 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान) में से ₹ 153.25 करोड़ राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी के पास जमा नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 में योजना के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर निवेश हेतु नियत प्राधिकारी को ₹ 1,134.42 करोड़ (₹ 981.17 करोड़+₹ 153.25 करोड़) कम हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित किया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/सरकार की भावी परिहार्य वित्तीय देयताओं के सम्बन्ध में अनिश्चितता उत्पन्न की और इस प्रकार योजना को ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

*संस्तुति:* राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के अंशदान की कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण अंशदान दिया जाए तथा इन्हें एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित किया जाए।

(प्रस्तर 1.5.1.3)

### निवेश एवं प्रतिफल तथा दिये गये ऋण

वर्ष 2014-19 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा विभिन्न संस्थानों की अंशपूजी एवं ऋणपत्र में निवेश के प्रतिफल के दर में अन्तर के कारण पर राज्य सरकार को निवेश के प्रतिफल पर ₹ 29,896 करोड़ की कल्पित हानि हुई। इसके अतिरिक्त, दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर सरकार द्वारा भुगतानित ब्याज की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

*संस्तुति :* राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

(प्रस्तर 1.6.3 एवं 1.6.5)

### निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। स.नि.नि. का प्रबन्धन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तथापि, राज्य सरकार ने स.नि.नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) का गठन नहीं किया था।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 26,404 करोड़ का विनियोग राजस्व लेखे (मुख्य शीर्ष 2048—ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग) से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में पुस्तकीय अन्तरण द्वारा किया गया। अग्रेतर, इस निधि में से, वर्ष 2018-19 में, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 12,693 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत अन्तरित एवं क्रेडिट किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति शीर्ष में अवशेषों

का अन्तरण (₹ 12,693 करोड़) निक्षेप निधि के अवशेषों के अन्तरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 12,693 करोड़ की अतिशयता हुई।

**संस्तुति:** राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए एवं आर.बी.आई. द्वारा निवेश की जाने वाली समेकित निक्षेप निधि का सृजन किया जाना चाहिये। अग्रेतर, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए एवं ऋण के मोचन पर पुनर्भुगतानित ऋण के समान राशि निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 में अन्तरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की अवशेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि न हो।

(प्रस्तर 1.7.2.1)

### राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.)

भारत सरकार के दिशानिर्देश, रा.आ.अ.नि. को “ब्याज युक्त आरक्षित निधि” के अन्तर्गत संचालित करना चाहिये, के विपरीत राज्य सरकार रा.आ.अ.नि. को “ब्याज रहित आरक्षित निधि” के अन्तर्गत संचालित कर रही है। अग्रेतर, रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, निधि के अवशेषों का निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये अनिवेशित अवशेषों पर ₹ 106.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹157.23 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की, जिसे मुख्य शीर्ष 1601— भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, इस धनराशि को वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा अनुक्रिया निधि लेखे में अन्तरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में ₹157.23 करोड़ से अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई।

**संस्तुति:** राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को “ब्याज युक्त आरक्षित निधि” के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अधीन स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित ब्याज को निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

(प्रस्तर 1.7.2.3)

### आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य के लिये, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। तथापि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों 2013 के अन्तर्गत, इनके द्वारा ₹ 453.91 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 90,781.57 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसका ₹ 453.91 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता का प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार द्वारा 23 संस्थानों को प्रत्याभूतियाँ दी गयीं जिनमें से 21 संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2018-19 में प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क (₹10.46 करोड़) दो संस्थानों से प्राप्त नहीं हुआ था।

**संस्तुति:** बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहयोग रोक दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है एवं/अथवा जिनके लेखे भी बकाया हैं।

(प्रस्तर 1.7.3.2)

### अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, चार अनुदानों तथा चार विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,539.44 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ। राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 की अवधि के 98 अनुदानों एवं 42 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 30,985.81 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना अभी भी शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि के अन्तर्गत किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्फल करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

**संस्तुति:** राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्ययाधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाए।

(प्रस्तर 2.2.1)

### बचतें

46 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 65 प्रकरणों में ₹ 90,038.26 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अग्रेतर, उपर्युक्त 65 प्रकरणों में से 18 प्रकरण ऐसे थे जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, 22 अनुदानों के अन्तर्गत 28 प्रकरणों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) ₹ 101.54 करोड़ एवं ₹ 14,921.22 करोड़ के मध्य थी।

**संस्तुति:** वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।

(प्रस्तर 2.2.2)

### आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 396.29 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 66.57 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गयी एवं अवशेष धनराशि ₹ 329.72 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। 31 मार्च 2019 तक आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 629.72 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष था, जिसमें वर्ष 2016-17 के प्रतिपूर्ति न किये गये ₹ 300 करोड़ की अवशेष धनराशि सम्मिलित थी। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति न किये जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018 एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 में प्रतिवेदित किया गया था।

**संस्तुति:** राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 के प्रस्तर 2.2.9 में दी गयी संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति समय से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.2.9)

### वैयक्तिक लेजर/ वैयक्तिक जमा खाता

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के अनुसार यदि किसी पी.एल.ए./पी.डी. खाते में तीन वर्षों से कोई लेन देन न हुआ हो, तो पी.एल.ए./पी.डी. खाते में अवशेष, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अन्तरित कर बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी समस्त विभागों को तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित रहे सभी पी.एल.ए./पी.डी. खाते को बंद किये जाने हेतु निर्देशित (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) किया गया था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) के पश्चात् असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अवशेष पड़ी धनराशि में कमी आई थी। तथापि, 31 मार्च 2019 को 416 पी.एल.ए./पी.डी. खातों में ₹ 22.77 करोड़ की राशि जमा थी।

(प्रस्तर 3.1)

### उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रेषित न किया जाना

31 मार्च 2019 तक वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 (सितम्बर 2017) तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती सहायता अनुदान की राशि ₹ 23,832.12 करोड़ से सम्बन्धित कुल 63,366 उपभोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) देय होने पर भी लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 23,832.12 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण-पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना धन के दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा भी सभी विभागों को यू.सी. का प्रेषण किये जाने का निर्देश जारी किया गया था, जिससे यू.सी. के प्रेषण किये जाने की स्थिति में सुधार हुआ था।

**संस्तुति:** राज्य सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग स्वीकृति आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों का संग्रह करें एवं व्यतिक्रमी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए।

(प्रस्तर 3.2)

### भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्ल्यू) कल्याण उपकर

बी.ओ.सी.डब्ल्यू बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, इसलिए लेखापरीक्षा में प्राप्ति एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क

आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों द्वारा संग्रहित की गयी एवं कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष तीन से सात प्रतिशत का व्यय किया गया एवं मात्र छः से 15 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

**संस्तुति:** उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अपने अधिदेश की पूर्ति की जानी चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से अन्तरित न करके, बोर्ड के बैंक खाते में सीधे अन्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.7)

### विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरित किये जाने का आदेश दिया गया था जो उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के विपरीत था।

**संस्तुति:** राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उ.प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं आदि को अन्तरित धनराशि लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरण सम्बन्धी प्राधिकृत करने वाले आदेश, जिसका अधिनियम में प्रावधान नहीं है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.8)

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

60 क्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (225 लेखे) एवं 42 अक्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (658 लेखे) के लेखे एक से 37 वर्षों से बकाये थे। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक 22 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता ₹ 5,036.61 करोड़ (इक्विटी: ₹ 1,552.38 करोड़, ऋण: ₹ 996.52 करोड़, पूंजीगत अनुदान: ₹ 1,748.52 करोड़, अन्य अनुदान: ₹ 665.57 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 73.62 करोड़) तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ उस अवधि के दौरान दिया गया जिनमें उनके लेखे बकाया थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए गत 1 से 15 वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम में

अपेक्षित है, इन पी.एस.यू. के लेखाओं के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे।

**संस्तुति:** वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू.के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने।

(प्रस्तर 3.11)

### घोषित नहीं किये गये लाभांश

राज्य सरकार की नीति, जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश भुगतान करना चाहिए, के विपरीत छ: पी.एस.यू. ने ₹ 602.93 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया जिनमें से ₹ 602.48 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है।

**संस्तुति:** राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा करें।

(प्रस्तर 3.12)

### लेखाओं में अपारदर्शिता

वर्ष 2018-19 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। वर्ष 2018-19 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियाँ ₹ 24,190.25 करोड़ एवं व्यय ₹ 38,022.97 करोड़ का पुस्तांकन विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों के अधीन किया गया। तथ्य यह है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अधीन बहुत अधिक अनुपात में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकन किये जाने से लेखे अपारदर्शी प्रदर्शित होते हैं एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

**संस्तुति:** वित्त विभाग द्वारा लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में प्रदर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्षों के अधीन पुस्तांकित हो एवं अग्रेतर, यदि आवश्यक हो, समुचित लेखाशीर्षों को खोला जाय।

(प्रस्तर 3.14)

### राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि (₹ 8,757.37 करोड़) विभाजन हेतु शेष थी।

**संस्तुति:** राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

(प्रस्तर 3.15)